निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

दिनांक : 18.11.2021

करण संख्या – 04/2019

अनवान

मणी बाई पत्नि गोकल जी जाति पूर्बिया उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर।

.... वादिया

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादिया

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने एक वादपत्र राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आ य का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादिया के खातेदारी की मौजा भादसौडा पटवार हल्का भादसौडा, तहसील भदेसर की साबिक खाता सं. 18 में अंकित आ.नं. 12/6 रकबा 08 बीघा एवं नवीन सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार खाता सं. 737 आराजी नम्बर 74 रकबा 1.08 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2065–2068, मिलान क्षैत्रफल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह कि आ.नं. 12/6 रकबा 08 बीघा भूमि वादिया ने खातेदार उदयराम पिता सोलाल जाट निवासी घोडाखेडा से दिनांक 21.12.2012 को बिल एवज 600000/– रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की उसी दिनांक से 08 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त कर रही है।
3. यह कि तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यान वादिया के खातेदारी में दर्ज आ.नं. 12/6 रकबा 08 के नवीन आराजी नम्बर 74 रकबा 1.08 हैक्टेयर कायम कर शेष आराजी बिलानाम सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

दर्ज कर दिया जबकि वादिया वर्तमान में 08 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है जिससे वादिया की ओर से वाद पत्र घोषणात्मक डिक्री का पेश है।

4. यह कि भू प्रबंध के पूर्व ही उक्त आराजीयात वादिया के खाते में खातेदारी दर्ज थी ऐसी स्थित में भू प्रबंध अधिकारियो को वादिया की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर बिलानाम दर्ज कर दी जबकि वादिया आज भी मौके पर 08 बीघा पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। इसलिये उक्त आराजीयात को वादिया अपनी खातेदारी में पुनः दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने के अधिकारी होने से वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश है।

5. यह कि विवादित आराजीयात सेटलमेंट के पूर्व वादिया के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मौके पर वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं वर्तमान में भी आराजीयात वादिया के कब्जे काश्त में है फिर भी ऐसा परिवर्तन भू प्रबंध अधिकारियों ने किया जो गलत है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादिया को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है।

6. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादिया की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

7. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 13.11.2018 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादिया को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन तलब किया गया। वाद के समर्थन में वादिया की ओर से निम्न दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा भादसौडा साबिक खाता सं. 18 संवत् 2063–2066
2. नकल जमाबन्दी मौजा भादसोडा संवत् 2072–2075
3. मिलान क्षेत्रफल
4. विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2012 की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लायक अधिवक्ता वादिया की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत भादसोडा शिविर में प्रस्तुत होने पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। नकल जाबन्दी मौजा भादसोडा की साबिक आ.नं. 12/6 रकबा 08 बीघा भूमि वादिया के नाम भू प्रबन्ध पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी को भू प्रबंध के पश्चात भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 74 रकबा 1.08 हैक्टेयर कायम कर शेष भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादिया वर्तमान में आरजी नं. 63 एवं 81 पर काबिज होकर काश्त कर रही है जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। अतः आराजी नम्बर 63 रकबा 0.52 सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 81 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि वादिया के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादिया की खातेदारी में दर्ज मौजा भादसोडा प0ह0 भादसोडा के साबिक आराजी नम्बर 12/6 रकबा 08 बीघा भूमि दर्ज थी। जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर 74 रकबा 1.08 हैक्टेयर कायम कर शेष भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई लेकिन वर्तमान में वादिया का आराजी नम्बर आरजी नं. 63 एवं 81 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिये आराजी नम्बर 63 रकबा 0.52 सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 81 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि को वादिया की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner